



# कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ-226007

संदर्भ संख्या : ...../सम्बद्धता अनु./2019

दिनांक : .....

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

## कार्यालय-आदेश

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त निम्नलिखित महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुतियों पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2019 द्वारा सत्र 2019-20 से तीन वर्षों हेतु सहयुक्तता अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :-

मद संख्या	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
अन्य मद सं. 13(2)	इंटीग्रल एण्ड इनोवेटिव संस्टेनेबल एजुकेशन कालेज, कल्याणपुर, लखनऊ	बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0जे0एम0सी0 एवं बी0कॉम0 (प्रत्येक में 60 सीट)

शर्त :-

1. समय-समय पर उ0प्र0 शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
2. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
3. महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में अपलोड किया जायेगा।
4. महाविद्यालय सहयुक्तता के मानकों/शर्तों की पूर्ति में निरन्तरता बनाए रखेगा।
5. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/परीक्षा अध्यापन इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का महाविद्यालय तत्परता से समग्रता में अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
6. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जो भी सूचनायें महाविद्यालय से अपेक्षित की जायेंगी महाविद्यालय तत्परता से उन्हें उपलब्ध करायेगा।
7. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों/महाविद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित नियमों/निर्देशों का महाविद्यालय अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शासनादेशों में समय-समय पर दी जाने वाली/दी गई व्यवस्थानुसार शिक्षकों के वेतन, सी0पी0एफ0 आदि भुगतान/कटौती करेगा एवं प्रतिवर्ष लेखों की सम्परीक्षा कराकर उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सम्बन्धित वर्ष के 30 जून तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
8. शासनादेश संख्या : 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013, दिनांक 30.05.2013 एवं दिनांक 30.04.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. विश्वविद्यालय से अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान व सी0पी0एफ0 कटौती की सूचना तथा कार्यरत शिक्षकों का रू0-10/- के शपथ पत्र कि वे कार्यरत हैं, विश्वविद्यालय को यथावश्यक उपलब्ध कराया जायेगा।
10. महाविद्यालय आडियो सहित वीडियो सुविधायुक्त कक्षाओं में अथवा अन्य निर्देशित विधि अनुसार विश्वविद्यालययी परीक्षा सम्पन्न कराने का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।
11. महाविद्यालय प्रतिवर्ष अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ से कराकर उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित शैक्षणिक वर्ष की 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
12. महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथासंशोधित) तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रथम परिनियमावली के प्राविधानों तथा कार्य परिषद एवं कुलपति के आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(डॉ० भावना मिश्रा)  
उप कुलसचिव (सम्ब.)  
कृते कुलसचिव

संख्या : AP/21380-82 दिनांक : 09/09/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित सहयुक्त महाविद्यालयों को।
3. गार्ड फाईल।

*omisha*  
(डॉ० भावना मिश्रा)  
उप कुलसचिव (सम्ब.)